छत्तीसगढ़ विधानसभा

पत्रक भाग-एक

संक्षिप्त कार्य विवरण

चतुर्थ विधान सभा प्रथम सत्र अंक-09

रायपुर, गुरूवार, दिनांक 6 फरवरी, 2014

(माघ-17, शक संवत 1935)

विधान सभा पूर्वाह्न 11.01 बजे समवेत हुई ।

(अध्यक्ष महोदय (श्री गौरीशंकर अग्रवाल) पीठासीन हुए।)

1. प्रश्नोत्तर

प्रश्नोत्तर सूची में शामिल 25 तारांकित प्रश्नों में से प्रश्न संख्या 01 से 08 एवं 10 से 12 (कुल 11) प्रश्नों पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गए तथा उत्तर दिये गए।

प्रश्न संख्या 09 के प्रश्नकर्त्ता सदस्य श्री भोलाराम साहू अनुपस्थित थे।

प्रश्नोत्तर सूची में नियम 46 (2) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्नों के रूप में परिवर्तित 6 तारांकित एवं 32 अतारांकित प्रश्नों के उत्तर भी शामिल थे ।

2. सभापति तालिका की घोषणा

माननीय अध्यक्ष द्वारा निम्नलिखित सदस्यों को विधान सभा की नियमावली के नियम 9 के उपनियम (1) के अधीन सभापति तालिका के लिए नाम निर्दिष्ट किया गया :-

(1) श्री संतोष बाफना

(2) श्री शिवरतन शर्मा

(3) श्री धनेन्द्र साहू

3. पृच्छा

श्री टी.एस.सिंहदेव, नेता प्रतिपक्ष द्वारा आसंदी से बिलद्वार की घटना पर चर्चा कराये जाने का अनुरोध किया गया।

माननीय अध्यक्ष ने कथन किया कि इस विषय पर 5 फरवरी को एवं आज प्राप्त स्थगन प्रस्ताव को अग्राह्य कर दिया गया है।

डॉ.रमन सिंह, मुख्यमंत्री ने किसी अन्य विषय पर चर्चा हेतु सहमति व्यक्त की।

माननीय अध्यक्ष ने आश्वस्त किया कि इस विषय पर चर्चा कराई जायेगी।

4. अशासकीय संकल्पों के लिए समय निर्धारण

माननीय अध्यक्ष ने घोषणा की कि आगामी शुक्रवार दिनांक 7 फरवरी, 2014 के अशासकीय दिवस हेतु निर्धारित दो अशासकीय संकल्पों संबंधी सूचना पत्रक भाग-2 के द्वारा जारी की जा चुकी है। ग्राह्य अशासकीय संकल्पों पर चर्चा हेतु निम्नानुसार समय निर्धारित किया जाता है :-

अशासकीय संकल्प क्रमांक	सदस्य का नाम	आवंटित समय
(क्रमांक - 02)	श्री नवीन मारकण्डेय	1 घंटा
(क्रमांक - 03)	श्री नवीन मारकण्डेय	30 मिनट

5. ध्यानाकर्षण सूचना

(1) श्री सत्यनारायण शर्मा, सदस्य ने बोरियाखुर्द ग्राम पंचायत में स्थित गजराज बांधा तालाब को पाटकर सड़क निर्माण कार्य कराये जाने की ओर राजस्व मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

श्री प्रेमप्रकाश पाण्डेय, राजस्व मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया।

(सभापति महोदय (श्री देवजी भाई पटेल) पीठासीन हुए।)

(2) श्री दलेश्वर साहू, सदस्य ने जिला राजनांदगांव में मडियान जलाशय के बांध की ऊंचाई बढ़ाने एवं नहर लाइनिंग कार्य में अनियमितता किये जाने की ओर जल संसाधन मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

श्री बृजमोहन अग्रवाल, जल संसाधन मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया।

6. नियम 267-क के अधीन विषय

(1) श्री मोतीलाल देवांगन, सदस्य ने भारी वाहनों की आवाजाही के कारण मार्ग जर्जर होने,

(2) श्री रामदयाल उइके, सदस्य ने जिला कोरबा, विकासखण्ड पोड़ी-उपरोड़ा में निर्माणाधीन धरवाड़ा तथा मुड-मिरानी एनीकट का निर्माण कार्य अधूरा होने,

(3) श्री केशव चंद्रा, सदस्य ने जनपद पंचायत जैजैपुर के अंतर्गत ग्राम पंचायत बरदुली मनरेगा के तहत मजदूरों को समय पर भुगतान न किया जाने, एवं

(4) श्री चुन्नीलाल साहू, सदस्य ने जांजगीर-चांपा जिले के कोटमीसोनार क्षेत्र के क्रोकोडाइल पार्क की स्थिति अत्यंत दयनीय होने संबंधी, **शून्यकाल की सूचना पढ़ी।**

7. याचिकाओं की प्रस्तुति

(1) श्री मोतीलाल देवांगन, सदस्य ने जांजगीर-चांपा के अंतर्गत नवागढ़ में शासकीय महाविद्यालय खोलने,

(2) श्री केशव चंद्रा, सदस्य ने जैजैपुर विधान सभा क्षेत्र के अंतर्गत -

(i) ग्राम लखुर्री में हाईस्कूल खोलने,

(ii) ग्राम मलनी से खजुरानी तक सड़क निर्माण करने,

(iii) ग्राम कपिस्दा में हाई स्कूल खोलने,

(iv) ग्राम भोथिया में महाविद्यालय खोलने,

(v) ग्राम खम्हरिया से छितापड़रिया तक सड़क निर्माण करने,

(vi) ग्राम छितापड़रिया में हाई स्कूल खोलने,

(vii) ग्राम भोथिया में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलने,

(viii) ग्राम चिखलरौंदा से आमापाली तक सड़क निर्माण करने,

(ix) ग्राम हरदी में बोराई नदी पर स्टापडेम निर्माण करने, एवं

(3) श्री अवधेश सिंह चंदेल, सदस्य ने बेमेतरा विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत -

(i) ग्राम रेवे से खम्हरिया मार्ग में शिवनाथ नदी पर पुल निर्माण करने,

(ii) ग्राम खोंड से करामाल मार्ग में सोंड नाले पर पुल निर्माण करने,

के संबंध में याचिकाएं प्रस्तुत की ।

8. शासकीय विधि विषयक कार्य

(1) छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय सेवा (संशोधन) विधेयक, 2014 (क्रमांक 2 सन् 2014)

श्री अजय चंद्राकर, संसदीय कार्य मंत्री ने प्रस्ताव किया कि छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय सेवा (संशोधन) विधेयक, 2014 (क्रमांक 2 सन् 2014) पर विचार किया जाय तथा संक्षिप्त भाषण दिया।

प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

विधेयक पर खण्डशः विचार हुआ ।

खंड 2 से 4 इस विधेयक का अंग बने।

खंड 1 इस विधेयक का अंग बना।

पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र विधेयक का अंग बने।

श्री अजय चंद्राकर, संसदीय कार्य मंत्री ने प्रस्ताव किया कि छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय सेवा (संशोधन) विधेयक, 2014 (क्रमांक 2 सन् 2014) पारित किया जाय।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

विधेयक सर्वसम्मति से पारित हुआ ।

(2) छत्तीसगढ़ शासकीय सेवक (अधिवार्षिकी-आयु) (संशोधन) विधेयक, 2014 (क्रमांक 3 सन् 2014)

डॉ.रमन सिंह, मुख्यमंत्री ने प्रस्ताव किया कि छत्तीसगढ़ शासकीय सेवक (अधिवार्षिकी-आयु) (संशोधन) विधेयक, 2014 (क्रमांक 3 सन् 2014) पर विचार किया जाय ।

प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया :-

सर्वश्री रोशनलाल, सत्यनारायण शर्मा, डॉ. विमल चोपड़ा ।

(अध्यक्ष महोदय (श्री गौरीशंकर अग्रवाल) पीठासीन हुए ।)

डॉ.रमन सिंह, मुख्यमंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

विधेयक पर खण्डशः विचार हुआ ।

खंड 2 व 3 इस विधेयक का अंग बने।

खंड 1 इस विधेयक का अंग बना।

पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र विधेयक का अंग बने।

डॉ.रमन सिंह, मुख्यमंत्री ने प्रस्ताव किया कि छत्तीसगढ़ शासकीय सेवक (अधिवार्षिकी-आयु) (संशोधन) विधेयक, 2014 (क्रमांक 3 सन् 2014) पारित किया जाय।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

विधेयक सर्वसम्मति से पारित हुआ ।

9. नियम 139 के अधीन अविलंबनीय लोक महत्व के विषय पर चर्चा

प्रदेश में सीमेंट की दरों में बेतहाशा वृद्धि होना

श्री सत्यनारायण शर्मा, सदस्य ने चर्चा प्रारंभ की।

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया:-

सर्वश्री देवजी भाई पटेल, शिवरतन शर्मा (जारी)

(1.30 बजे से 3.00 बजे तक अंतराल)

(अध्यक्ष महोदय (श्री गौरीशंकर अग्रवाल) पीठासीन हुए ।)

सर्वश्री रामदयाल उइके, श्रीचंद सुंदरानी, बृहस्पत सिंह, नवीन मारकण्डेय, जनकराम वर्मा, अशोक साहू, अरूण वोरा, श्रीमती चंपादेवी पावले, श्री संतराम नेताम, श्रीमती सरोजनी बंजारे,

(सभापति महोदय (श्री देवजी भाई पटेल) पीठासीन हुए।)

डॉ.विमल चोपड़ा, श्री टी.एस.सिंहदेव, नेता प्रतिपक्ष।

(अध्यक्ष महोदय (श्री गौरीशंकर अग्रवाल) पीठासीन हुए ।)

श्री राजेश मूणत, लोक निर्माण मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

सायं 4.30 बजे विधान सभा की कार्यवाही शुक्रवार, दिनाँक 7 फरवरी, 2014 (माघ 18, शक संवत् 1935) के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की गई।

देवेन्द्र वर्मा
प्रमुख सचिव
छत्तीसगढ़ विधान सभा